



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 286 राँची, शुक्रवार,

19 मई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

17 अप्रैल, 2023

संख्या-5/आरोप-1-113/2014 का.-2217--श्री भुगन रविदास, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-180/03, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला के विरुद्ध उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-569(ii)/स्था०, दिनांक 09.07.2009 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में घोर वित्तीय अनियमितता बरतने, अपने पद का दुरुपयोग करने एवं सरकारी सेवा आचार संहिता का उल्लंघन करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3812, दिनांक 09.07.2011 द्वारा श्री रविदास से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री रविदास के पत्रांक-1897, दिनांक 15.07.2011 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री रविदास द्वारा अपने स्पष्टीकरण में सभी आरोपों से इन्कार किया गया तथा उनके द्वारा निष्पादित सभी कार्यों को सरकारी आदेश एवं निदेश के अनुरूप बताया गया। उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया कि उन्होंने न ही किसी को लाभ पहुँचाया और न ही सरकारी राशि का गबन किया गया है ।

श्री रविदास के विरुद्ध गठित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत श्री रविदास द्वारा किये गये विचलन के फलस्वरूप किसी कार्य योजना के प्रभावित होने तथा लंबित रहने के संबंध में विभागीय पत्रांक-4800, दिनांक 16.08.11 द्वारा उपायुक्त, गुमला से प्रतिवेदन की माँग की गयी।

उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-938(ii)/स्था०, दिनांक 22.08.2022 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रतिवेदन में उपायुक्त, गुमला द्वारा उल्लेख किया गया कि संबंधित मामले में टीम गठित कर जाँच कराई गई साथ ही इस संदर्भ में जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला से भी मंतव्य प्राप्त किया गया। जाँच दल एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला के प्रतिवेदनानुसार श्री दास के कार्यकाल दिनांक 01.10.1994 से 18.07.1997 तक की अवधि में आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु दिए गए अग्रिम राशि के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अधिकांश अग्रिम राशि का समायोजन कर लिया गया है।

उपायुक्त, गुमला द्वारा जाँच दल एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला के प्रतिवेदन के निष्कर्ष पर प्रतिवेदित किया गया है कि श्री रविदास के द्वारा किये गये विचलन के कारण कोई योजना कार्य प्रभावित नहीं हुई है।

श्री रविदास के विरुद्ध गठित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री भुगन रविदास, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री भुगन रविदास, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।
